

**नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ,
मुख्यालय छत्तीसगढ़**

सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर

-:: भर्ती विज्ञापन ::-

क्रमांक/ 513 /स्था-3/भर्ती/2025 रायपुर दिनांक 12/06/2025

छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा राज्य आपदा मोचन बल
तृतीय श्रेणी अराजकप्रतिष्ठ कार्यपालिका सेवा भर्ती नियम एवं प्रदोम्भति नियम, 2017 के तहत
अग्निशमन विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु छगो के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से
छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा की वेबसाइट <https://cghged.gov.in> पर
दिनांक 01.07.2025 से ऑन लाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। मेनुअल अथवा डाक से
भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। भर्ती प्रक्रिया रायपुर छत्तीसगढ़ में
सम्पन्न की जावेगी।

01-प्राधिकार(1) छगो शासन गृह विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के आदेश क्रमांक एफ
13-02/घो-गृह/न.से./2022 दिनांक 26.03.2024

02- रिक्त पदों का विवरण

टीप:- उम्मीद्वी तपसोका में से किसी एक पद के लिये आवेदन कर सकेंगे एक से

क्र.	पद का नाम	बुज विभाग की श्रेणी का पद				बुज विभाग की श्रेणी का पद के में तपसोका के लिए आवेदन पत्र				बुज विभाग की श्रेणी का पद के में तपसोका के लिए आवेदन पत्र				बुज विभाग की श्रेणी का पद के में तपसोका के लिए आवेदन पत्र				अन्य	कुल
		अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य			
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	स्टेशन ऑफिसर (ग्रा. निरीक्षण)	8	2	7	3	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	18	2
02	वाहन चालक	8	2	4	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	14	4
03	वाहन चालक का ऑपरटर	10	10	20	10	10	3	3	3	3	1	2	1	8	2	7	3	60	6
04	वाहन चालक	10	14	20	10	16	4	11	4	4	1	3	1	12	3	6	4	112	4
05	वाहन चालक	10	4	10	5	3	1	3	1	1	-	1	-	3	1	2	1	10	4
06	सिडिफिक	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	4
07	वाहन चालक ऑपरटर	8	2	6	2	2	-	1	-	यह पद तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अभिलिखित नाम सेमिनारों से भरा जावेगा।								18	4
08	वाहन चालक ऑपरटर (सिडिफिक)	2	-	1	1	-	-	-	-	यह पद तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अभिलिखित नाम सेमिनारों से भरा जावेगा।								10	अनुसूचित जाति
योग																		205	

अधिक पदों

के लिये आवेदन मान्य नहीं होगा।

- 03- ऑनलाईन आवेदन करने की प्रारम्भिक तिथि - 01.07.2025
- 04- ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि - 31.07.2025
- 05- बुटि सुधार हेतु - 10.08.2025
- 06- परीक्षा शुल्क- अनारक्षित वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग - ₹0 300-00
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग - ₹0 200-00



०७-

महत्वपूर्ण निर्देश-

- (१) आवेदन को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
- (२) अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत की आश्रय का लाभ केवल गैर कमीसेयर होते पर देय है। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर कमीसेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु आवेदन करने की तिथि से पिछले ०३ वर्ष के भीतर जारी किया हुआ अन्य प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए।

शासकीय सेवाओं के मूल/पुत्री के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी, जिस हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज परीक्षण के समय अपने माता व पिता की सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नति संबंधी समस्त आदेशों की साक्षात्पत्र प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण-पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हुए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता-पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षों से विलग है तो उस स्थिति में उन्हें माता-पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- (३) न्यूनतम ०३ वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नगर सैनिकों को ही आश्रय का लाभ प्रदाय किया जाएगा। उनके जिला स्तरों से उक्तवास का प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- (४) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आवेक्षित किए गए हैं वे पद ऐसे अभ्यर्थी को स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आवेक्षित अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे) तथा जिन्होंने पूर्व में किसी शासकीय सेवा में नियोजन हेतु भूतपूर्व सैनिक आश्रय का लाभ न लिया हो के लिए आवेक्षित होंगे। ऐसे भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिये अभिद्वन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अभिद्वन का नमूना निम्नानुसार है :-



अभियान (Undertaking) का प्रारूप

सदस्य अभियान एवं आपातकालीन सेवा परीक्षा के विज्ञापन क्रमांक _____ के अंतर्गत आवेदन पत्र विभाग को प्रस्तुत किया है तथा मैं उत्तीर्णगढ़ निवासी भूतपूर्व सैनिक हूँ। अब भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण पर के विरुद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाये। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

मैंने पूर्व में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिक को देय आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं किया है।

हस्ताक्षर _____

नाम _____

नोट :- ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु पूर्व में भूतपूर्व सैनिक को देय आरक्षण का लाभ प्राप्त कर लिया है, उन्हें पुनः भूतपूर्व सैनिक को देय आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

टीका :-
(i) भूतपूर्व सैनिक = अलग सेना / जल सेना / वायु सेना
(ii) आर्य सैनिक बल भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।

(क) महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण खम्बरदार सीधा आरक्षण है पात्र महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उस पद को उसी संवर्ग के पुरुष अभ्यर्थी से भरा जायेगा। यदि भूतपूर्व सैनिक एवं नगर सैनिक के आरक्षण संवर्ग में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उन पदों को उस संवर्ग के अन्य उपलब्ध अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(ख) परीक्षा:- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तीन वर्ष की परीक्षा पर की जायेगी।

08- चयन/भर्ती हेतु पात्रता :- सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरे करनी होंगी-
अर्थात्:-

(i) शारीरिक अर्हता :-

(क) पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊँचाई - 168 से.मी. या अधिक।

महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊँचाई- 153 से.मी. या अधिक।

(ख) अभ्यर्थियों में किसी प्रकार की शारीरिक निराकता नहीं होनी चाहिए।

(ग) सीना-बिना फुलाये 81 से.मी. फुलाने पर 86 से.मी. अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये बिना फुलाये 78 से.मी. फुलाने पर 81 से.मी.

सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में दोनों के बीच का अंतर न्यूनतम 5 से.मी. का होना चाहिए तथा इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जायेगी। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता/परीक्षा से मुक्त होंगी।



(घ) अभ्यर्थी के घुटनों को एक साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिये एवं पैर स्पष्ट नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को विकिरणीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए। अभ्यर्थी को दृष्टि से संबंधित कोई भी बीमारी/विकार नहीं होना चाहिये। घनों के बिना एक आंख की दृष्टि 6/9 से कम नहीं होना चाहिये और दूसरी आंख की दृष्टि 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी को सभी रंगों के लिये स्पष्ट दृश्यता होना चाहिये और वर्णभ्रमता नहीं होनी चाहिये। अभ्यर्थी को किसी भी समीर बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को सुनने में समस्या नहीं होना चाहिये।

(ii) शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता -

क्र.	पदनाम	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता
1	स्टेशन ऑफिसर (उप निरीक्षक)	किसी मान्यता प्राप्त विरूपविद्यालय से जूनियरमान में बी.एस.सी./बी.ई. की उपाधि या उसके समकक्ष
2	वाहन चालक	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण
3	वाहन चालक कम ऑपरेटर	(2) भाई मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए
4	फायर मैन	किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण
5	स्टोर कीपर	अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण
6	मैकेनिक	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/मान्यता प्राप्त संस्था से बीजल मैकेनिक ट्रेड में डिप्लोमा।
7	वायरलेस ऑपरेटर	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) प्रशिक्षित नगर सैनिक
8	वायरलेस ऑपरेटर (सहिदा)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) प्रशिक्षित वायरलेस ऑपरेटर सहित नगर सैनिक होना चाहिए

(ग) आयु :- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2025 को 18 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक ना हो, परन्तु ज्योत शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एक 2-2/2015/1-3 तथा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18.01.2024 द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में 65 वर्ष की छूट रहेगी।



उच्चतर आयु सीमा में निम्नानुसार घट की पावता होगी:-

- (i) यदि अध्यक्षी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों (मैर-टीसी-सेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक विधिलिखित होगी।
- (ii) उन अभ्यर्थियों के संकेत में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो अथवा राह चुके हो, सीधे विधिद्वारा की गई सीमा तथा राज्यों के अभ्यर्थीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा विधिलिखित होगी :-
 - (क) ऐसा अध्यक्षी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।
 - (ख) ऐसा अध्यक्षी, जो अस्थायी/स्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद को शिघ्र आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का का नहीं होना चाहिए। यह सियावाल आकरिकाल निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यन्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुप्रेष्य होगी।
 - (ग) ऐसा अध्यक्षी, जो "छटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्ण में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि भले हो वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप को आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण- शब्द "छटनी किये गये शासकीय सेवक" से धीतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किसी भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छ माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे संलग्न कार्यालय में अपना पंजीयन करने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अथवा आवेदन करने की तारीख से तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवानिवृत्त किया गया हो।



- (घ) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिवधा सेवा की कालावधि कम करने लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसकी परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिकतम न हो।

साप्तीकरण— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से प्रोक्त है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रयोगों में से किसी एक प्रयोग का ही तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु जन्माधार आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मिश्रव्यवस्था इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कभी किये जाने के कारण छुट्टी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सर्वप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात् —

(क) शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी मण्डल तथा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2012/आ.प्र./1-3, दिनांक 12.03.2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किये गये आवेदनों में ही आश्रय का लाभ प्राप्त होगा। शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किये जाने वाले आवेदनों में उन्हें आश्रय का लाभ प्राप्त नहीं होगा।)

- (एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति स्थितियों (मरटरींग आउट कन्ट्रोल) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो,
(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबास नामांकित किया गया हो और जिन्हें —
(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,
(ख) नामांकन की शर्त पूर्ण हो जाने पर सेवानुक्त कर दिया गया हो,

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मिक,

- (चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा अर्धसैनिक) जिन्हें उनकी सविधा पूरी होने पर सेवानुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं)



- (पाच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के परचासु सेवानुक्त किया गया हो।
- (छ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।
- (सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवानुक्त किया गया हो कि वे अब दस सैनिक योग्य नहीं हैं।
- (आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घात आदि हो जाने के कारण शिकिस्तीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।
- (इ) विधवा, परित्यक्ता या ललाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ए) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्राष्ट्रीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सर्व्व पति/पति के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (उ) सहैय्य राजीव पाण्डे सम्मान, गुणधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद मंजरेड सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राजा निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।
- (झ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की काराबधि के सिधे उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की सीमा को आयादीन रहते हुए छूट दी जावेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप :-

(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (घ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी शिथिलता के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने परचासु या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके परचासु सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के परचासु सेवा या पद से उनकी छटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।



(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं सिविल नहीं की जाएंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/प्रश्न हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्ण अनुमति अनिवार्य करनी होगी।

(3) अभ्यर्थी जिन्हें उनके सर्व (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विधवा/ तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अभिप्राप्त है, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट संधावत मिलती रहेगी, किन्तु उपरोक्त उल्लेखित किसी एक या एक से अधिक संघर्षों के अधीन छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एक 3-1/2016/1-3, नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

(iv) छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एक 3-2/2002/1-3, रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार सविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष उसने सविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

(v) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट बाकी गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें :-

(i) शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र सौंपना आवश्यक है।

(ii) विज्ञापन की कडिका-08 (iii) की उप कडिका-1 एवं ii (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (झ) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए राज्य शासन के सचन अधिकारी/नियुक्ति अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

(iii) विज्ञापन की कडिका-08 (iii) की उप कडिका-ii (ड) के अंतर्गत तलाकशुदा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट या प्रमाण-पत्र तथा विधवा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र।



- (iv) विज्ञापन की कटिंक-08 (iii) की उप कटिंक-ii (घ) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत तत्त्व सहाय अधिकारी का प्रमाण-पत्र ।
- (v) विज्ञापन की कटिंक-08 (iii) की उप कटिंक-ii (छ) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "शहीद राष्ट्रीय पार्ष्वे पुरस्कार, मुझपुर सम्मान, महाराजा प्रदीरबन्ध मंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार" प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र ।
- (vi) विज्ञापन की कटिंक-08 (iv) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए साक्ष्य अधिकारी द्वारा जारी सविदा अनुमति का प्रमाण-पत्र ।

09- **चयन प्रक्रिया** - प्रतिस्पर्धी परीक्षा की चयन प्रक्रिया निम्नानुसार आयोजित की जायेगी-

- (i) **आवेदन पत्रों की छागबीन** :- आवेदन पत्रों की छागबीन करते हुए सम्स्त विहित मापदण्ड/अहतावों को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम चरण (शारीरिक दक्षता परीक्षा) के अंतर्गत चयन प्रक्रिया में भाग लेने की पाकता होगी।
- (ii) **शारीरिक माप के लिये मापदण्ड** :- अभ्यर्थी की शारीरिक योग्यता सरस कमाल 08 की उप कमाल (i) में मन्ना विनिर्दिष्ट न्यूनतम मापदण्ड/योग्यता के अनुसार होनी चाहिए।

टीका - शारीरिक माप से संबंधित किसी विषय के संबंध में किसी मुख्य विधिकर अधिकारी का विधिकरचक अंतिम होगा ।

- (iii) **शारीरिक दक्षता परीक्षा** :- यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य होगी।

(क) स्टेशन आफिसर उपनिरीक्षक की शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 300 अंको की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाएं सम्मिलित होगी :-



क्र.	मद (आवक)	क्र.	मद (आवक)	क्र.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	लम्बी कुद (लीन प्रवास)	60	लम्बी कुद (लीन प्रवास)	60
	12 फिट (3.66 मीटर) तक	00	08 फिट (2.44 मीटर) तक	00
	14 फिट (4.27 मीटर)	12	10 फिट (3.05 मीटर)	12
	16 फिट (4.88 मीटर)	24	12 फिट (3.66 मीटर)	24
	17 फिट (5.18 मीटर)	36	13 फिट (3.96 मीटर)	36
	18 फिट (5.49 मीटर)	48	14 फिट (4.27 मीटर)	48
	19 फिट (5.79 मीटर) से अधिक	60	15 फिट (4.57 मीटर) से अधिक	60
2-	ऊँची कुद (लीन प्रवास)	60	ऊँची कुद (लीन प्रवास)	60
	04 फिट (1.22 मीटर) तक	00	03 फिट (0.91 मीटर) तक	00
	04 फिट 02 इंच (1.27 मीटर)	12	03 फिट 02 इंच (0.97 मीटर)	12
	04 फिट 04 इंच (1.32 मीटर)	24	03 फिट 04 इंच (1.03 मीटर)	24
	04 फिट 06 इंच (1.37 मीटर)	36	03 फिट 06 इंच (1.07 मीटर)	36
	04 फिट 08 इंच (1.42 मीटर)	48	03 फिट 08 इंच (1.12 मीटर)	48
	04 फिट 10 इंच (1.47 मीटर) से अधिक	60	03 फिट 10 इंच (1.17 मीटर) से अधिक	60
3-	गोला फेंक (लीन प्रवास) वजन 16 पाउन्ड	60	गोला फेंक (लीन प्रवास) वजन 08 पाउन्ड	60
	04 मीटर तक	00	04 मीटर तक	00
	05 मीटर	12	05 मीटर	12
	06 मीटर	24	06 मीटर	24
	07 मीटर	36	07 मीटर	36
	08 मीटर	48	08 मीटर	48
	09 मीटर से अधिक	60	09 मीटर से अधिक	60
4-	100 मीटर दौड़	60	100 मीटर दौड़	60
	12.5 सेकेंड या कम	60	14.5 सेकेंड या कम	60
	13.5 सेकेंड	48	15.5 सेकेंड	48
	14.5 सेकेंड	36	16.5 सेकेंड	36
	15.5 सेकेंड	24	17.5 सेकेंड	24
	16.5 सेकेंड	12	18.5 सेकेंड	12
	16.5 सेकेंड से अधिक	00	18.5 सेकेंड से अधिक	00
5-	दौड़ 1500 मीटर	60	दौड़ 1600 मीटर	60
	5 मिनट	60	6 मिनट	60
	5 मिनट 10 सेकेंड	48	6 मिनट 10 सेकेंड	48
	6 मिनट 20 सेकेंड	36	6 मिनट 20 सेकेंड	36
	6 मिनट 30 सेकेंड	24	6 मिनट 30 सेकेंड	24
	6 मिनट 40 सेकेंड	12	6 मिनट 40 सेकेंड	12
	6 मिनट 40 सेकेंड से अधिक	00	6 मिनट 40 सेकेंड से अधिक	00



- (ख) ग्राहक, वाहन चालक, वाहन चालक कम आपरेटर, फायरमेन, स्टोखीयर, मेकैनिक, वायस्स आपरेटर एवं वायस्सेस आपरेटर सर्वोदा पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल 100 अंकों में से, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 अंक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक अर्जित करने होंगे, इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धार्थ सम्मिलित होंगी :-

दौड़-100 मीटर-अधिकतम अंक-25

पुरुष-100 मीटर दौड़ 10 कि.ग्रा. वजन के साथ महिला-100 मीटर दौड़ 5 कि.ग्रा. वजन के साथ

पुरुष		महिला	
समय सेकेंड में	अंक	समय सेकेंड में	अंक
15 सेकेंड	25	15 सेकेंड	25
16 सेकेंड	20	16 सेकेंड	20
17 सेकेंड	15	17 सेकेंड	15
18 सेकेंड	10	18 सेकेंड	10
19 सेकेंड	05	19 सेकेंड	05
20 सेकेंड	00	20 सेकेंड	00

लंबी कूद-अधिकतम अंक-25

पुरुष		महिला	
लम्बाई	अंक	लम्बाई	अंक
03 मीटर से कम	00	02 मीटर से कम	00
03 मीटर 30 से.मी.	05	02 मीटर 50 से.मी.	05
03 मीटर 75 से.मी.	09	03 मीटर	09
04 मीटर	13	03 मीटर 25 से.मी.	13
04 मीटर 50 से.मी.	17	03 मीटर 75 से.मी.	17
05 मीटर	21	04 मीटर	21
05 मीटर 50 से.मी. से अधिक	25	04 मीटर 25 से.मी. से अधिक	25

गोला फेंक-अधिकतम अंक-25

पुरुष-गोला फेंक
(वजन-16 पाउण्ड)

महिला-गोला फेंक
(वजन-08 पाउण्ड)

पुरुष		महिला	
लम्बाई	अंक	लम्बाई	अंक
05 मीटर 50 से.मी. से कम	00	04 मीटर से कम	00
05 मीटर 50 से.मी.	05	04 मीटर	05
06 मीटर	09	04 मीटर 50 से.मी.	09
06 मीटर 50 से.मी.	13	05 मीटर	13
07 मीटर	17	06 मीटर	17
08 मीटर	21	07 मीटर	21
08 मीटर या अधिक	25	08 मीटर या अधिक	25

बीगबार-अधिकतम अंक-25

पुरुष-बीगबार

महिला-बीगबार

पुरुष		महिला	
संख्या	अंक	संख्या	अंक
12 बार	25	08 बार	25
10 बार	22	06 बार	22
08 बार	18	04 बार	18
06 बार	10	03 बार	10
05 बार	05	02 बार	05
04 बार या कम	00	01 बार या कम	00

- (iv) **लिखित परीक्षा :-** लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी तथा परीक्षा की कुल अवधि दो घंटे की होगी । निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्नों को परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा :-



स. क्र.	चरण	कुल अंक	विभाग	अनिवार्य प्रश्नोंक
1	लिखित परीक्षा	100	विषय विशिष्ट, सामान्य ज्ञान/सांख्यिक/विश्लेषणात्मक तर्क	सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 40 अंक एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 30 अंक प्राप्त करना/अर्जित करना अनिवार्य होगा।

वाहन चालक/वाहन चालक ऑपरेटर ट्रेड के अभ्यर्थियों को ट्रेड परीक्षा देनी होगी, इसके लिये कुल 100 अंक होंगे। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना/अर्जित करना होगा।

- 10- **बोनस अंक :-** प्रत्येक अभ्यर्थी को 05 बोनस अंक दिया जायेगा, यदि वह नीचे उल्लिखित विशेष योग्यता धारण करता हो। किन्तु अभ्यर्थी को अधिकतम 10 बोनस अंक दिए जायेंगे, भले ही अभ्यर्थी दो से अधिक विशेष योग्यता धारण करता हो। ये विशेष योग्यताएँ हैं :-

- (क) भारी मोटर वाहन चालन का लायसेंसधारी।
- (ख) राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में प्रवीणता। (केवल वे अखिल भारतीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता जिन्का सौधा आयोजन उस खेलकूद के अखिल भारतीय संघ के अंतर्गत किया जाता है, वहां के केवल विजेता खिलाड़ियों को ही पत्रिका होगी)।
- (ग) एन.सी.सी. "सी" प्रमाण पत्र धारी।

टीप :- भारी मोटर वाहन चालक का लायसेंसधारी होने पर बोनस अंक वाहन चालक, वाहन चालक कम ऑपरेटर की पदी को छोड़कर शेष पदों हेतु प्रदाय किये जायेंगे।

- 11- **चयन सूची :-** स्टेशन ऑफिसर (उपनिरीक्षक) पद हेतु, शारीरिक दक्षता परीक्षा अंक 300, लिखित परीक्षा अंक 100 एवं बोनस अंक 10 केवल पात्रानुसार के आधार पर तथा शेष पदी तथा वाहन चालक, वाहन चालक कम ऑपरेटर, फायरमैन, स्टोल्कीपर, मैकेनिक, वायरूम ऑपरेटर एवं वायरलेस ऑपरेटर (संविदा) हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा अंक 100, लिखित परीक्षा अंक 100 एवं बोनस अंक 10 (केवल पात्रानुसार) के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी। बोनस के 10 अंक भी गणना पृथक् से की जायेगी। लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं बोनस अंको में प्राप्त कुल अंकों के आधार

पर मेरिट क्रम के आधार पर सूची तैयार की जायेगी। सर्वप्रथम, सभी वर्गों के अभ्यर्थियों में से अनारक्षित पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के वे अभ्यर्थी भी सम्मिलित होंगे, जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के इच्छुकार हैं एवं जो अनारक्षित पदों के लिए सभी मापदण्ड पूरा करते हैं। शेष अभ्यर्थियों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के आधार पर, ऊपरी अपने-अपने जाति/वर्गों के लिए विज्ञापित आरक्षित पदों के अनुसार पुष्पक-पुष्पाक सूची तैयार की जायेगी।

- 12- **घयन सूची का अनुमोदन** :- लिखित परीक्षा एक बार आयोजित होगी और घयन सूची अग्निशमन एवं आपदाकालीन सेवा तथा आपदा मोचन बल मुख्यालय द्वारा विहित अनुसूची के अनुसार तैयार की जायेगी, घयन समिति समस्त आवश्यक अग्निशमन मजानियेशक को अनुमोदन हेतु भेजेगी। अग्निशमन एवं आपदाकालीन सेवा तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय द्वारा विहित कार्यक्रम के अनुसार सूची का परीक्षण, विचारण तथा जाँच करने के पश्चात् अनुमोदन आदेश जारी किये जायेंगे।

- 13- **परीक्षा फीस (शुल्क) :-**

(क) अभ्यर्थी को समिति द्वारा विहित फीस (शुल्क) का भुगतान करना होगा।

(ख) चिकित्सा (स्वास्थ्य) परीक्षा फीस:- पात्र अभ्यर्थियों को जिन्हें किसी चिकित्सकीय परीक्षा हेतु चिकित्सा मन्त्रालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया गया हो स्वास्थ्य परीक्षा प्राप्त होने के पूर्व चिकित्सा मन्त्रालय के अध्यक्ष को ऐसी अपेक्षित चिकित्सा परीक्षा/टेस्ट फीस का भुगतान करना होगा जो शासन द्वारा समय-समय पर विहित की जाए।

- 14- **निरर्हता** - (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी संघर्ष से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्पण अभिप्राय करने के किसी भी प्रयास को, निष्पक्षिता प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में/चयन हेतु उपस्थित होने हेतु निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहलू ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन ऐसे अभ्यर्थियों को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।



- (3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, नाभौतिक या शारीरिक रूप से स्वास्थ्य तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त घोषित न कर दिया जाये।

परन्तु आपराधिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस कर्तव्य के अर्थात् अन्वेषण नियुक्ति दी जा सकती कि यदि वह विनिर्दिष्ट रूप से असंस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

- (4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी सम्झौता हो, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के परधान, वह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

- (5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे नैतिक अपराध से संबंधित किसी अपराध का सिद्धांत प्रदर्शित गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले दायित्व हो तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक स्थगित रखा जावेगा जब तक कि उस अपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम निष्कर्ष न कर दिया जाए।

- (6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्ण विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

15- अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा

- (1) परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अन्तर्गत शासन को चयन सुदी भेजने के बाद भी यदि नियुक्ति प्राधिकारी के अज्ञान में यह कथ्य जाता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है तो यह निरर्थक हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।



अवैधता पत्रों के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची :-

- 01- 100ग0 राज्य का मूल निवासी प्रमाण-पत्र ।
- 02- शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र
- 03- उच्चतर आय में छूट प्राप्त करने के लिए माहित प्रमाण पत्र ।
- 04- आश्रय का लाभ करने के लिए जाति प्रमाण पत्र।
- 05- आय प्रमाण पत्र (गैर कॉपीलेयर अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु)
- 06- मृतपुर्वा सैनिकों / नगर सैनिकों के मामले में जाति प्रमाण पत्र ।
- 07- बोनस बैंक हेतु-01 हेवी वीकनल आईडिमें जायबेस 02 नेशनल स्टोर्ट्स सर्टिफिकेट 03 एनसीसी-सी सर्टिफिकेट ।

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये की जाने वाली चयन प्रक्रियाएं नगरीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19888/2022 के अंतिम आदेश के अधीन होगी।


12.6.22

महानिदेशक

उत्तर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं
राष्ट्र एसडीआरएफ छत्तीसगढ़